

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - अराज/सामान्य/2014/SP- 66

दिनांक- 27 अक्टूबर, 2014


आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-


क्र.सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को
1	विरो बाई	एएनएम	सबसेंटर भगरी खुर्द, कोटकासिम, अलवर	एडपोस्ट खानपुर अहीर, मुण्डावर अलवर में मुकेश यादव के स्थान पर
2	मुकेश यादव	एएनएम	एडपोस्ट खानपुर अहीर, मुण्डावर अलवर	सबसेंटर भगरी खुर्द, कोटकासिम, अलवर में विरो बाई के स्थान पर
3	राधा देवी	एएनएम	पीएचसी पचेवर टोंक	सीएमएचओ, जयपुर प्रथम के अधीन रिक्त पद पर
4	कमल किशोर	च0श्रे0क0	सीएचसी टपूकडा, अलवर	राज0 सैटैलाईट चिकि0 कालाकुआं, अलवर में रिक्त पद पर
5	चन्दा शाह	एएनएम	सबसेंटर 37 जीजी गुददूवाला, पीएचसी चानणा, श्रीगंगानगर	रिवेम्पिंग स्कीम श्रीगंगानगर में रिक्त पद पर
6	मनोज कुमारी	एएनएम	सबसेंटर ताखलसर, फतेहपुर सीकर	बीसीएमओ, लक्ष्मणगढ, सीकर के अधीन रिक्त पद पर
7	सुमित्रा	एएनएम	सबसेंटर चाचीवाद, छोटा फतेहपुर, सीकर	सबसेंटर बाठोद, फतेहपुर सीकर में रिक्त पद पर
8	अमिता	नर्स 2	पीएचसी मंगलूणा, लक्ष्मणगढ, सीकर	सीएचसी लक्ष्मणगढ, सीकर में रिक्त पद पर
9	मुकेश कुमार	क0लि0	बीसीएमओ लक्ष्मणगढ सीकर	सीएचसी बेसवा, सीकर में रिक्त पद पर
10	चैनाराम गोदारा	नर्स 2	पीएचसी पीलवा, जोधपुर	पीएचसी जालोडा, जोधपुर
11	आनन्द सिंह राजपुरोहित	नर्स 2	सीएचसी देचू, शेरगढ, जोधपुर	पीएचसी चांदसमा, शेरगढ, जोधपुर
12	तिलोक् चन्द गर्ग	लेब टेक्नी0	पीएचसी मातोडा, जोधपुर	पीएचसी चाडी, जोधपुर
13	गणेशाराम	वार्ड बॉय	पीएचसी लखाहाकम, श्रीगंगानगर	सीएचसी रोल, जायल, नागौर

14	हरिओम सेन	नर्स 2	स्वा0 केन्द्र जावदा, नीमडी, चित्तौड़गढ़	पीएचसी तालेडा, बूंदी
15	सरस्वती देवी	च0श्रे0क0	स्वा0 केन्द्र धानपा माडोता, नागौर	पीएचसी झवर, लूणी जोधपुर
16	रिकू सोनी	एएनएम	स्वा0 केन्द्र दौलतगढ़, आसीद, भीलवाडा	पीएचसी सांपला, केकडी अजमेर
17	सीता पारीक	एएनएम	पीएचसी हुसैनपुरा, लाडनू, नागौर	पीएचसी देवगांव, केकडी, अजमेर
18	गायत्री	एएनएम	सबसेंटर पातलीसर छोटा, भांदासर, चूरु	सबसेंटर ढाणी लालसिंहपुरा, पीएचसी सहनाली, चूरु
19	सुरेन्द्र सुथार	सू0स0	पीएचसी दाउदसर, रतनगढ़, चूरु	एसडीएम चिकि0 बीकानेर में रिक्त पद पर
20	सुमित पारीक	न0ट0	निदेशालय के आदेश क्रमांक- एसपी 45 दिनांक 21.10.14 के क्रम सं0 44 पर अंकित सुमित पारीक का स्थानान्तरण पर पदस्थापन सामा0 चिकि0 केकडी, अजमेर के स्थान पर जीएनएमटीसी, अजमेर किया जाता है।	
21	चन्द्रप्रकाश दादलानी	क0लि0	पीएचसी गढी, परतापुर, बांसवाडा	संयुक्त निदेशक चि0 एवं स्वा0 सेवायें, जोन अजमेर कार्यालय में रिक्त पद पर
22	निर्मला शर्मा	एएनएम	स्वा0 केन्द्र भादरा जून, जालौर	स्वा0 केन्द्र मण्डोर, जोधपुर
23	लालचंद सबल	लैब टेक्नी0	पीएचसी खरकडा, जमवारामगढ़, जयपुर	एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में रिक्त पद पर

1. संबिदा/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर्मचारी/रिर्स डेपुटेशन/एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी। बाडमेर एवं जैसलमेर जिले में कार्यरत अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं की जावे।
2. मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे कार्मिकों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं की जावे।
3. जिन कर्मचारियों का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया गया है, उनका पदस्थापन/समायोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने जिले में रिक्त पद पर किया जावेगा। पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी को "अग्रिम आदेशों की प्रतिक्रिया" में निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।
4. जिन कर्मचारियों का पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन किया गया है, उनका पदस्थापन/समायोजन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने खण्ड में रिक्त पद पर किया जावेगा।
5. जिन कर्मचारियों का पदस्थापन रिक्त पद पर किया गया है, वहां पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी को अन्य रिक्त पद पर समायोजन हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भिजवायेंगे।
6. जिन कार्मिकों का नाम त्रुटिवश स्थानान्तरण सूची में 2 या अधिक बार आ गया हो अथवा एक ही स्थान पर दो अलग अलग कार्मिकों का स्थानान्तरण हो गया हो, उस स्थिति में पहले आदेश की क्रियान्विति होगी।
7. रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।



8. पंचायतीराज विभाग के अधीन हस्तान्तरित कर्मचारियों के स्थानान्तरण ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर की सहमति से किये जा रहे हैं।
9. उपरोक्त शर्तों (1 से 9) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।



 (दिनेश कुमार जांगिड)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक — अराज/सामान्य/2014/SP- 66

दिनांक— 27 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0. जयपुर।
- 2- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
- 4- समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
- 5- उप शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
- 6- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजस्थान।
- 7- निदेशक जन स्वास्थ्य /आरसीएच/एडस/आईईसी/ईएसआई/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर।
- 8- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कालेज राजस्थान।
- 9- समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन राजस्थान।
- 10- समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
- 11- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
- 12- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- 13- समस्त उप/अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प0क0 राजस्थान।
- 14- समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- 15- समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/अधिकारी।
- 16- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 17- संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
- 18- आदेश/रक्षित पत्रावली।


 (दिनेश कुमार जांगिड)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
 राजस्थान जयपुर